2

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 05/2023
GCMS No.2023/620

1. शिम्भूदयाल पुत्र स्व. गुजरमल अग्रवाल
2. सुनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. संतोष कुमार समस्त 1 लगा. 2 जातियान महाजन निवासी त्यौंदा, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) हाल निवास घोष पारा रोड़, पी.ओ. जगद्दल, जिला नोर्थ 24 परगना (प. बंगाल)
3. जयप्रकाश पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद अग्रवाल
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद अग्रवाल
5. विवेक अग्रवाल पुत्र स्व. भजनाराम अग्रवाल समस्त 3 लगा. 5 जातियान महाजन निवासी त्यौंदा, तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) हाल निवास घोष पारा रोड़, पी.ओ. जगद्दल, जिला नोर्थ 24 परगना (प. बंगाल)

   समस्त जरिये मुख्तयार खास दुर्गाप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

.......अपीलाण्ट्स

ब–ना–म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
2. भगवानाराम पुत्र भूराराम
3. मालाराम पुत्र भूराराम
4. रामदेव पुत्र स्व. भूराराम

   समस्त 2 लगा. 4 जातियान गुर्जर निवासी ग्राम त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

...........रेस्पोडेण्ट्स

प्रथम अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 762 दिनांकित 28/4/1977 द्वारा ग्राम पंचायत त्यौंदा तहसील खेतड़ी भूमि खसरा नंबर पुराना 727/2, 736/1 वाके ग्राम त्यौंदा जो भूराराम पुत्र झूथराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौंदा के पक्ष में भरा गया।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर – अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री जयप्रकाश सैनी – रेस्पोडेण्ट्स सं. 2, 3 व 4 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांकः– 01–07–2024

अपीलाण्ट्स की ओर से अपील के आधारों से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत त्यौंदा के द्वारा दिनांक 28.07.1977 को जो नामान्तकरण सं. 762 भरा गया है वह नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं विरूद्ध पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। नामांतरकरण सं. 762 सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 को रेस्पोडेण्ट नंबरान 2 लगा. 4 के पिता स्व. भूराराम के नाम गया है किन्तु नामांतरकरण भरते समय पटवारी महोदय व सरपंच ने सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 के आदेश का अवलोकन किये बिना ही नामांतरकरण सं. 762 भरा गया है जो निरन्त होने योग्य है। सलाहकार समिति की मिटिंग दिनांक 29.12.1976 के आदेश के अनुसार उक्त भूराराम पुत्र झूथराम गुर्जर के पक्ष में भूमि पुरान खसरा नंबर 727/2, 736/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा मौजा बाडलवास की भूमि का हुआ है जबकि पटवारी व सरपंच त्यौंदा ने बजाय बाडलवास की उक्त भूमि 727/2, 736/1 के स्थान पर वंडर मिस्टेक करते हुए ग्राम त्यौंदा की भूमि खसरा नंबर 727/2, 736/1 की ही भूमि को नामांतरकरण संख्या 762 के द्वारा उक्त भूराराम के नाम दर्ज कर दी जिस कारण वंडर मिस्टेक के आधार पर भरा गया नामांतरकरण सं. 762 निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत त्यौंदा तहसील खेतड़ी द्वारा नामांतरकरण संख्या 762 दिनांकित 28.04.1977 के द्वारा वाके ग्राम त्यौंदा की भूमि खसरा नंबर पुराना 727/2, 736/1 का नामांतरकरण जो रेस्पोडेण्ट नं. 2 लगा. 4 के पिता भूराराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम त्यौंदा के पक्ष में भरा गया, को निरस्त कर इस भूमि का नामांतरकरण अपीलाण्ट्स के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट्स सं. 2, 3 . 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर इनका जवाब अवसर बन्द किया गया। रेस्पोडेण्ट सं. 1 की तामील आवश्यक नही होने से इनकी तामील बन्द की गई।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(3)......

अपीलाण्ट्स की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति नामांतरकरण सं. 762, अलाटमेन्ट दिनांक 29.12.76, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये।

बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नामान्तरकरण सं0 762 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं0 762 पटवारी हल्का त्यौंदा द्वारा भू–आवंटन सलाहकार समिति में हुए निर्णय के आधार पर पुर किया गया है। जबकि भू आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम बाडलवास में आवंटन किया था इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 762 में पारित आदेश न्याय संगत नही है, क्योंकि भूमि के विवाद से संबंधित प्रकरण पर निर्णय लेने का अधिकार पटवारी हल्का या ग्राम पंचायत को नही है।

ओदश

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत त्यौंदा के नामान्तरकरण सं0 762 का आदेश दिनांक 28.04.1977 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनकर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भू–आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी